मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1134
02.12.2024 को उत्तर के लिए

वनरोपण कार्यक्रम

1134. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावाः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वनरोपण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी परियोजनाओं में भाग लेने वाली कतिपय एजेंसियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में प्राकृतिक संसाधनों के बेरोकटोक दोहन को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): मंत्रालय ने देश में वनरोपण के लिए कई पहलें शुरू की हैं और जिन स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वनरोपण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है उनकी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

(i) हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन (जीआईएम), जिसका उद्देश्य भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसीएस) के माध्यम से भारत के वन क्षेत्र की रक्षा, पुनर्स्थापना और संवर्धन करना है, के तहत वृक्षारोपण/पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना के लिए 17 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र को 944.48 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(ii) शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वन/हरित स्थान बनाने के लिए नगर वन योजना (एनवीवाई) का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वन विभागों और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है और मंत्रालय ने 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 546 परियोजनाओं को मंजूरी दी है तथा 431.77 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

(iii) स्कूल नर्सरी योजना (एसएनवाई), जिसमें छात्रों को पौध नर्सरी बनाने और पौध रोपण के कार्य में संलग्न किया जाता है, मान्यता प्राप्त सार्वजनिक और निजी विद्यालयों में चलायी जा रही है। 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 4.80 करोड़ रुपये के परिव्यय से कुल 743 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(iv) मैंग्रोव को विशेष, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में बहाल करने तथा तटीय पर्यावासों की संधारणीयता को संरक्षित करने और इसे बढ़ाने के लिए "तटीय पर्यावास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल" (मिष्टी) योजना शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को कुल 17.96 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(v) माताओं के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान के प्रतीक के रूप में स्वैच्छिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 5 जून, 2024 को *'एक पेड़ माँ के नाम अभियान'* शुरू किया गया और इस पहल के तहत अब तक 1 बिलियन से अधिक पौधे लगाए गए हैं।

इसके अलावा, प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) के अंतर्गत निधियों का उपयोग वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 तथा उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वनरोपण और संबंधित कार्यकलापों के लिए किया जाता है।

मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव, वन्यजीव सप्ताह आदि अवसरों पर स्वैच्छिक आधार पर तथा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों में वन एवं संबंधित एजेंसियों की सहभागिता और संलग्नता को बढ़ावा देता है।

देश में प्राकृतिक संसाधनों के मनमाने दोहन को संबंधित अधिनियमों/नियमों/विनियमों के प्रवर्तन के माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा है।

****